फर्द अहकाम

शैलेष प्रधान **बनाम** श्रीमती ... देवी ...

नाम न्यायालय

केस संख्या 51/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष ...
	11/3/22	... पेशकार ... अधिकारी ... 5/5/22 ... को पेश हो।	
	5/5/22	प. वादी उपस्थित। तहसीलदार चौमूं से कुरेणा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। पूर्व प्रा. डिक्री उपरोक्त कारण की वसूली के आधार पर की गई जो कुरेणा एवं ... पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के ... कुरेणा रिपोर्ट अंकित ... किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः डिक्री वादी का वाद ... डिक्री ... किया जाता है। ... आज्ञा ... के लिखा जाकर ... किया गया। पत्रावली ... पत्रावली ... [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:25 IST
Reason: SelfAttested

...यालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू, जिला जयपुर

...ठासीन अधिकारी :– सीमा खेतान

वाद सं. 51/2018

उनवान

1. शैलेष प्रधान पुत्र श्री रमेश चन्द प्रधान, जाति बागडा बाहम्ण, निवासी प्लाट नम्बर 38, शिव पथ, सूरज नगर, पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती भूरी पत्नी भोमा
2. रामेश्वर,
3. छीतर,
4. अर्जुन
5. शंकर

पुत्रान भोमा

6. श्रीमती धापा देवी पत्नी पाचूराम
7. श्याम लाल,
8. शंकर,
9. गणेश

पुत्रान पांचूराम

10. सरजू देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद
11. नाथी देवी पत्नी प्रभातीलाल
12. मन्नी देवी पत्नी श्री रामलाल
13. सन्तोष देवी पत्नी श्री मांगीलाल

पुत्रीयान पांचूराम

समस्त जातियान बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

14. श्रवण कुमार
15. गीगराज

पुत्रान रामलाल

16. मुरली देवी पत्नी रामलाल

समस्त जातियान कुमावत निवासीगण ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

17. रामेश्वर पुत्र सूंडाराम, जाति कुमावत , निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
18. मोहन लाल पुत्र रामगोपाल ,जाति जांगिड निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
19. लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायण लाल जाति माली, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
20. तीजा देवी पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण ,जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासनी प्लाट नम्बर 1, सीकर हाउस, कुए के पास, चॉदपोल वाहर जयपुर।
21. तहसीलदार महोदय तहसील चौमू, जिला जयपुर।
22. उप पंजीयक महोदय तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:25 IST
Reason: SelfAttested

882 उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अर्न्तगत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 05.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10.12.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 प्राप्त हो चुके है। अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 के अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार तहसील चोमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 10.03.2022 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 798 के खसरा नम्बर 1790 रकबा 1.75 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा पटवार हल्का कालाडेरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. श्रवणकुमार गीगराज पि0 रामलाल हिस्सा 1686/3073, मुरली देवी पत्नी रामलाल हिस्सा 1387/3073 जाति कुमावत सा0 देह को खसरा नम्बर 1790/1 रकबा 0.1023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1790/3 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.3073 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0स0 1 पर लाल रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. शैलेष प्रधान पुत्र रमेशचन्द प्रधान हिस्सा 596/1582 जाति बागडा ब्राहम्ण, लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायण हिस्सा 596/1582 जाति माली, श्रवण कुमार गीगराज पि0 रामलाल, मुरलीदेवी पत्नी रामलाल हिस्सा 390/1582 जाति कुमावत सा0देह को खसरा नम्बर 1790/2 रकबा 0.1582 हैक्ट, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.1582 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0स0 2 पर हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. शैलेष प्रधान पुत्र रमेशचन्द प्रधान हिस्सा 1968/2268 तीजा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण हिस्सा 300/2268 जाति बागडा ब्रा0 सा0देह को खसरा नम्बर 1790/5 रकबा 0.2268 हैक्ट कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2268 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0स0 3 पर नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
4. श्यामलाल, शंकर, गणेश, सरजूदेवी, नाथीदेवी, [illegible] देवी, [illegible] देवी पि0 पांचूराम, धापीदेवी पत्नी पांचूराम जाति [illegible] 1790/6 रकबा 0.2268 हैक्ट कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2268 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0स0 4 पर पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
5. मोहनलाल पुत्र रामगोपाल जाति जांगीड सा0देह को खसरा नम्बर 1790/7 रकबा 0.2268 हैक्ट कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2268 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0रा0 5 पर नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:25 IST
Reason: SelfAttested

6. रामेश्वर, छीतरमल, अर्जुनलाल, शंकरलाल पि0 भोमाराम हिस्सा 32/35 तीजादेवी, रूकमणी, सुशीला पुत्रियांन भोमाराम हिस्सा 3/35 जाति बागडा ब्रा0 सा0 देह को खसरा नम्बर 1790/8 रकबा 0.5833 हैक्ट कुल किता 01 का कुल रकबा 0.5833 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0स0 6 पर नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
7. रामेश्वर पुत्र सूण्डाराम जाति कुमावत सा0देह को खसरा नम्बर 1790/4 रकबा 0.0208 हैक्ट कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0208 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्र0स0 7 पर बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सीमा खेतान
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:25 IST
Reason: SelfAttested